**मूल हिन्दी**

**भारत सरकार**
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3579**
**03 अप्रैल, 2023 को उत्तर के लिए**

**शहरी विकास योजनाओं की स्थिति**

**3579# श्री नीरज डांगी:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा शहरी गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान शहरी विकास योजना के अंतर्गत विशेषकर राजस्थान राज्य के लिए आवंटित की गई राशि और खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान राज्यों को आवंटित की गई निधि की देखरेख के लिए कोई निगरानी तंत्र है, यदि हाँ, तो इस निगरानी तंत्र के अंतर्गत की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**
**(श्री कौशल किशोर)**

(क) से (ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राजस्थान सहित देश के सांविधिक शहरों में "दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है ताकि स्थायी आधार पर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम किया जा सके। कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटी और पी) घटक के माध्यम से रोजगार के तहत, शहरी गरीब उम्मीदवारों को बाजार-उन्मुख प्रमाणित पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें मजदूरी रोजगार और/या स्व-रोजगार के अवसरों का लाभ मिल सके। सोशल मोबिलाएजेशन और संस्थागत विकास (एसएमआईएंडडी) घटक में, पात्र स्वयं सहायता समूहों को 10,000/- रु. की एकमुश्त परिक्रामी निधि सहायता प्रदान की जाती है। मिशन, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को स्वीकृत बैंक लिंकेज ऋणों पर 7% की ब्याज दर से अधिक की दर पर ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है। महिला स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण चुकाने पर अतिरिक्त 3% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटी और पी) के जरिए रोजगार घटक के तहत, शहरी गरीब उम्मीदवारों को बाजार-उन्मुख

प्रमाणित पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें मजदूरी रोजगार और/या स्व-रोजगार के अवसरों में लगाया जा सके।

मिशन के स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) घटक में, शहरी गरीबों के व्यक्तियों/समूहों को उनके कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्व-रोजगार उद्यम/सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम और समूह उद्यम क्रमशः 2 लाख रुपये और 10 लाख रुपये तक के बैंक ऋण के लिए पात्र हैं। मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को लाभकारी सूक्ष्म उद्यम गतिविधियां शुरू करने के लिए रियायती ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सक्रिय एसएचजी ने भी अपने बचत कोष से अपना उद्यम शुरू किया है। डीएवाई-एनयूएलएम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी और उपयोग की गई केंद्रीय निधि को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित धनराशि के उपयोग की निगरानी और समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसे संस्थागत ढांचे के माध्यम से किया जाता है जिसमें प्रगति रिपोर्ट, वरिष्ठ अधिकारियों के फील्ड दौरे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा शामिल है। डीएवाई-एनयूएलएम के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर एक शासी परिषद (जीसी) है जो मिशन की समग्र प्रगति और विकास की समीक्षा करती है। राज्य स्तर पर, कार्यान्वयन को दो स्तरीय संरचना - एक शासी परिषद और एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। शहर स्तर पर, डीएवाई-एनयूएलएम का प्रबंधन नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है।

******

**अनुलग्नक-I**

**'शहरी विकास योजनाओं की स्थिति' के संबंध में 3 अप्रैल, 2023 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3579 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I।**

| **डीएवाई-एनयूएलएम के तहत पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2019-20 से 2021-22) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी और उपयोग की गई केंद्रीय निधि** | | | |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम** | **जारी (करोड़ रु. में)** | **उपयोग की गई (करोड़ रु. में)** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 217.19 | 189.78 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 15.95 | 9.48 |
| 3 | असम | 69.70 | 46.54 |
| 4 | बिहार | 61.98 | 49.77 |
| 5 | छत्तीसगढ | 31.73 | 13.30 |
| 6 | गोवा | 10.70 | 8.73 |
| 7 | गुजरात | 135.33 | 120.63 |
| 8 | हरियाणा | 54.39 | 34.40 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 27.22 | 22.72 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 21.48 | 15.09 |
| 11 | झारखंड | 50.93 | 45.44 |
| 12 | कर्नाटक | 48.53 | 23.30 |
| 13 | केरल | 87.37 | 87.37 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 167.25 | 147.82 |
| 15 | महाराष्ट्र | 160.52 | 160.52 |
| 16 | मणिपुर | 16.71 | 16.71 |
| 17 | मेघालय | 3.79 | 3.79 |
| 18 | मिजोरम | 36.97 | 36.97 |
| 19 | नागालैंड | 15.94 | 15.94 |
| 20 | ओडिशा | 47.82 | 26.64 |
| 21 | पंजाब | 35.53 | 35.53 |
| **22** | **राजस्थान** | **117.94** | **116.81** |
| 23 | सिक्किम | 3.54 | 1.49 |
| 24 | तमिलनाडु | 296.68 | 296.68 |
| 25 | तेलंगाना | 111.92 | 111.92 |
| 26 | त्रिपुरा | 35.53 | 17.65 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 226.55 | 150.50 |
| 28 | उत्तराखंड | 15.36 | 12.12 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 103.48 | 92.11 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.28 | 0.00 |
| 31 | चंडीगढ़ | 6.76 | 6.76 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप | 0.00 | 0.00 |
| 33 | लद्दाख | 2.10 | 0.45 |
| 34 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 |
| 35 | पुदुचेरी | 7.17 | 2.97 |
| | **कुल** | **2244.34** | **1919.93** |

****